रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252955
CG-DL-E-14032024-252955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1202] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1202] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1264(अ).—सेवाओं या लाभों या सब्सिडी प्रदान करने के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार का उपयोग सरकारी सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) नामक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम, जिसे स्वैच्छिक संगठन या गैर-सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसियां कहा गया है) के माध्यम से लागू किया जा रहा है, चला रहा है, ताकि दिव्यांगजनों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण का सृजन किया सके।

और इस स्कीम के अंतर्गत, स्कीम और उसके अधीन जारी विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को विशेष शिक्षा, प्रारंभिक हस्तक्षेप, हॉफ वे होम आदि (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं;

और इस स्कीम के कार्यान्वयन में आवर्ती व्यय शामिल है, जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता हैं;

अत: अब, आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

1. (1) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक किसी बालक को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार प्रमाणीकरण कराना होगा;

(2) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अध्यधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा बच्चा आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय या विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन हेतु सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो मंत्रालय या विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परन्तु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के आधीन ऐसे व्यक्तियों को लाभ दिए जाएंगे, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि लाभार्थी को पांच वर्ष की आयु के बाद नामांकित किया गया था (बायोमेट्रिक्स सूचना के साथ), तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मैट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची या;

(ii) लाभार्थी द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) लाभार्थी के निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक, अर्थात्:-

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) (विद्यालय के प्राचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम दिए गए हों; और

(ग) वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या कानूनी संरक्षक के साथ लाभार्थी के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

(vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु, उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के आधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय या विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभार्थियों को उक्त आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्: –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, निर्बाध तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए फिंगर-प्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे से प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन लाभ वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. उपर्युक्त में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बच्चा इस स्कीम के अधीन लाभ से वंचित नहीं होगा, यदि प्रमाणीकरण के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के प्रमाण को प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) में उल्लेख किए गए अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करते हुए उसे लाभ प्रदान किया जाएगा और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ दिया जाता है, वहां उसे दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और लेखा परीक्षा आवधिक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से की जाएगी।

5. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1264(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department) in the Government of India is administeringa Central Sector Scheme namely Deendayal Divyangjan Rehabilitation Scheme (DDRS)(hereinafter referred to as the Scheme) to create an enabling environment to ensure equal opportunities, equity, social justice and empowerment of persons with disabilities, and encourage voluntary action for ensuring effective implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, which is being implemented through Voluntary Organisation or Non-Government Organisations (hereinafter referred to as to the implementing agencies).

And whereas, under the scheme, variety of services include special education, early intervention, half way homes etc. (hereinafter referred to as benefits) is given to the persons with disabilities (hereinafter referred to the beneficiaries), by the implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry or Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and

(b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Ministry or Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2024.03.14 00:06:00 +05'30'